... सहायक कलक्टर पीलीबंगा ... मिसल आर.ए.एस.
... पत्र संख्या :– 52/2025

नाज चौधरी पुत्री सुनिल कुमार उम्र 6 साल जरिये कुदरती वलिया माता प्रियका पत्नि सुनिल कुमार पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी साहुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीया

बनाम

1. सुनिल कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी गोलूवाला वार्ड न04 23–24 जे आर के सिहागावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
2. सत्यनारायण पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी गाव गोलूवाला 23– 24 जे के आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
3. सुन्दर देवी पत्नि सत्यनारायण जाति जाट निवासी गाव गोलूवाला 23– 24 जे के आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा
5. संदीप सिहाग पुत्र लेखराम सिहाग जाति जाट निवासी कुम्हारांवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हनुमान भादू — प्रार्थीया
2. श्री हीरालाल बिरथलिया —अप्रार्थी संख्या 5
3. श्री महेन्द्र सैन —अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 4

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 11/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री हनुमान भादू द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थी ने उक्त वर्णित नाम व वर्णन का वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया है जिसके सफल होने की पूर्ण संभावना है। तथ्यों की पुनरावृति ना हो इस हेतु वाद के तथ्यो को प्रार्थना पत्र के संलग्नक के रूप मे पढा जावे।

यह कि वादीया के दादा अप्रार्थी स० 2 के नाम से चक 5 यू एम डब्लयू तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 23/209 के मुरबा नम्बर 13 मे किला नम्बर 21 ता 23 सालम व 24/1 मे 0.228 हैक्टयर भूमि कुल भूमि 0.987 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 23 / 210 मुरबा नम्बर 19 मे किला नम्बर 17 से 24 सालम व 25/1 मे 0.228 व 25/2 मे 0.025 हैक्टयर कुल भूमि 2.2520 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 23 / 211 के मुरबा नमबर 26 मे किला नम्बर 4 मे 0.253 हैकटयर भूमि कुल खसरे 15 भूमि नहरी 3.517 हैक्टयर व चक 23 जे आर के ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 27/239 के मुरबा नमबर 19 मे किला नम्बर 1/1 मे 0.203 हैक्यर व 1/2 मे 0.025 हैक्टयर, 1/3 मे 0.025 हेक्टयर व 2/1 मे 0.203 व 2/2 मे 0. 025 हैक्टयर, 2/3 मे 0.025 हैक्टयर, व किला नम्बर 9 ता 12 सालम व 19 ता 22 सालम 2.4300 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 27 / 240 के मुरबा नम्बर 28 मे

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ा नम्बर 2/1 मे 0.228 हैक्टयर व 2/2 मे 0.025 हैक्टयर 0.250 है० भूमि कुल भूमि 2.3 हैक्टयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है और प्रार्थीया की पडदादी धापी देवी के नाम से संयुक्त मुस्तरका खाता मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि चक 23 जे आर के बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ मे पत्थर नम्बर 28/242 के मुरबा नम्बर 7 मे 0.228 हेक्टयर भूमि व पत्थर नमबर 28/243 के मुरबा नमबर 22 मे 4.834 हैक्टयर भूमि व पत्थर नमबर 28/244 के मुरबा नमबर 24 मे 1.367 हैक्टयर भूमि व कुल भूमि 6.831 हैक्टयर है जिसमे धापी देवी का हिस्सा 5692/6831 है जो कि करीबन 25 बीघा जमीन है जो कि प्रार्थी की पडदादी का देहात हो चुका है ओर जिनके चार वारिस थे जिनमे से प्रार्थी के दादा को सवा छ बीघा के करीब भूमि विरासतन प्राप्त हुयी है जो कि जददी जायदाद जमीन हे ओर इस प्रकार समस्त कृषि भूमि जददी जायदाद है व इसके अलावा प्रार्थी की दादा सुन्दर देवी के नाम से चक 5 यू एम डब्लयू के पत्थर नम्बर 23/2009 के मुरबा नमबर 13 मे कुल भूमि 0.252 हैक्टयर कृषि भूमि है वह भी जददी जायदादा है ओर इसके अलावा भी दादी को भूमि को प्राप्त हुयी थी जिसका दादी के द्वारा बेचान कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी स02 सत्यनारायण के नाम से करीबन 25 बीघा व दादी धापी देवी के नाम से करीबन 25 बीघा मे से सवा छ बीघा व दादी सुन्दरा देवी के नाम से 1 बीघा कुल भूमि 32.5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है ओर प्रतिवादी स02 विरासतन भूमि करीब 32.5 बीघा कृषि भूमि प्राप्त है जिसमे वादी के पिता को 1/4 हिस्सा विरासतन उपरोक्त मे से भूमि प्राप्त है इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि मे से 1/4 हिस्से मे से 1/2 हिसा यानि 4 बीघा 1/2 बिस्वा भूमि विरासतन प्राप्त है जो कि प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है ओर जो कि अप्रार्थीगण को विरासतन कृषि भूमि प्राप्त हुयी है जिसमे वादीया का जन्मसिद्ध अधिकार है

यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया की माता को बिना किसी कारण के मारपीट दहेज के लिए तग परेशान करके व उसका जीवन नर्कमय बनाकर दहेज के लालच मे सर्कापियो गाडी के लिए बीस लाख रूप्ये की माग कर नाजायज रूप से निकाल दिया है ओर प्रतिवादी स01 जो कि मेडिकल नशा करता है ओर प्रतिवादी स० 1 ने प्रार्थीया की माता के स्त्रीधन को अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए बेचने पर उतारू है ओर वादीया को माता को अत्यधिक प्रताडित किया है ओर प्रार्थीया लडकी होने के कारण भी वादीया का तिरस्कार किया हुआ है ओर प्रार्थीया की माता के साथ मारपीट की गयी ओर जिसके कारण प्रार्थीया की माता को सरकारी होस्पीटल मे भर्ती रहना पडा ओर प्रतिवादी स० 1 को नशा की लत को छुडाने के लिए उसे नशा मुक्ति मे भी भर्ती करवाया गया ओर वादीया की माता की इज्जत पर भी अप्रार्थी स02 के द्वारा हाथ डालकर अपमानित किया गया ओर दिनांक 24-14-2024 को प्रार्थीया के साथ उसकी माता को घर से निकाल दिया ओर जिस पर प्रार्थीया की माता ने एफ आई आर 17/ 25 दहेज का मुकदमा महिला थाना श्रीगंगानगर मे दर्ज करवायी ओर दोनो पक्षो की पचायत होने पर प्रतिवादीगण ने वादीया की माता से माफी मागी ओर वादीया की माता को तलाक देने पर मजबूर किया गया है ओर पचायत के समक्ष प्रतिवादीगण के द्वारा शपथ पत्र लिख कर दिया गया ओर प्रतिवादीस० 2 परिवार का मुखिया होने के कारण व उसके नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण व वादीया के हिसासे की कृषि भूमि जबकि वादीया का चार बीघा से अधिक कृषि भूमि का हिस्सा बनता था परन्तु राजीनामा व सहमति के आधार पर अप्रार्थीगण के द्वारा पेतृक कृषि भूमि 157/138 खाता संख्या मुरबा नम्बर 13, 19, 26 मे 3.517 हैक्टयर मे से मुरबा नम्बर 19 के किला नम्बर 22,23,24 कुल 3 बीघा नहरी भूमि उपहार स्वरूप देने बाबत 500/- रूप्ये के स्टाम्प पर तहरीर व तस्दीक करवाकर उपपजीयक पीलीबगा के कार्यालय मे दिनांक 15-5-2025 को उपहार पत्र को पजीयन करवाकर देने की सहमति दी क्योकि उक्त कृषि भूमि पर लोन लिया हुआ था ओर दिनांक 15-5-2025 तक लोन कलीयर करवाकर मुझ वादीया के नाम से उपहार पत्र करवाकर देने के लिए पाबंद हुये थे ओर आगामी ठेका राशि दिये जाने का भी स्टाम्प पत्र लिखकर दिया था

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

र उकत राजीनामा के आधार पर वादीया की माता के द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमे को वादीया की माता को गुमराह करके महिला थाना श्रीगंगानगर एफ आई आर नम्बर 47/25 को खत्म करवाकर एफ आर पेश करवा दी ओर कार्यवाही समाप्त होने पर मुकरर तारिख 15–5–2025 को वादीया की माता व उसके परिजन ने प्रतिवादीगण को उपहार पत्र वादीया के नाम से करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादीया की माता के साथ मारपीट की ओर वादीया का हिस्सा देने से स्पष्ट इन्कार हो गये ओर धमकी दी कि हमने तो केस खत्म करवाने के लिए कृषि भूमि वादीया को देने का कहा था ओर वादीया व उसकी माता को रखने व वादीया को हिस्सा देने से स्पष्ट इन्कार हो गये ओर अन्य जमीन को असामाजिक तत्वो को दिखाने पर आबद्ध हो गये है ओर प्रतिवादीगण के द्वारा वादीया के हिससे की कृषि भूमि 4 बीघा आधा बिस्वा कृषि जदीजायदाद मे से देने से स्पष्ट इन्कार हो गये ओर सरेआम धमकी दी है कि हम तो जमीन को ओने पोने दाम पर बेच देगे।

यह कि प्रार्थीया का उक्त भूमि मे जन्मसिद्ध अधिकार है ओर प्रतिवादी स० 2 के द्वारा यह धमकी दी गयी है कि जमीन राजस्व रिकार्ड मे उसके नाम से दर्ज है ओर वह जमीन का आगे बेचान कर देगा ओर अप्रार्थीगण ने दिनांक 15–5–2025 को व दिनांक 28–5–2025 को गगानगर मे ऐलानिया धमकी दी है कि जमीन का आगे बेचान कर दिया है और वादीया को दावा लाना अति आवश्यक हो गया है और वादीया के पास दावा पेश करने के अलावा अन्य कोई अपचार नही हैं।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान नयायालय के अधिकार क्षेत्र मे सिथत होने के कारण दावा/प्रार्थना पत्र प्रार्थीया काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारिख इन्कारी से बिना किसी देरी से वाद पेश किया जा रहा है। यह कि प्रतिवादी स० 4 लैण्ड होलडर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है।

यह कि वाद मे सुविधा का सतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति भी वादी को कारित हो रही है वादी को अपूर्णीय क्षति की राषि मे आका जाना संभव नही है इसलिये प्रथम दृष्टया सफल वाद प्रमाणित होत है।

यह कि प्रार्थीया को अप्रार्थी के खिलाफ वाद हेतुक दिनांक 15–05–2025 व 28–5–2025 को गंगानगर मे हासिल हुआ मे जिसमे प्रतिवादीगण स01 ता 3 के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि जमीन को ओने पोने दाम पर बेच दिया जावेगा जो इस प्रकार वादीया को वाद हेतुक हासिल हुआ है जो कि अन्दर मियाद वाद पत्र पेश है।

यह कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिनदू प्रार्थी के पक्ष मे साबित है।

अत स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि दौराने दावा प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी स० 2 के नाम से चक 5 यू एम डब्लयू तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 23/209 के मुरबा नम्बर 13 मे किला नम्बर 21 ता 23 सालम व 24/1 मे 0. 228 हैक्टयर भूमि कुल भूमि 0.987 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 23/210 मुरबा नम्बर 19 मे किला नम्बर 17 से 24 सालम व 25/1 मे 0. 228 व 25/2 मे 0.025 हैक्टयर कुल भूमि 2.2520 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 23/211 के मुरबा नमबर 26 मे किला नम्बर 4 मे 0.253 हैकटयर भूमि कुल खसरे 15 भूमि नहरी 3.517 हैक्टयर व चक 23 जे आर के ए तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 27/239 के मुरबा नमबर 19 मे किला नम्बर 1/1 मे 0. 203 हैक्यर व 1/2 मे 0.025 हैक्टयर, 1/3 मे 0.025 हेक्टयर व 2/1 मे 0.203 व 2/2 मे 0.025 हैक्टयर, 2/3 मे 0.025 हैक्टयर, व किला नम्बर 9 ता 12 सालम व 19 ता 22 सालम

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4300 हैक्टेयर व मुरब्बा नम्बर 27/240 के मुरब्बा नम्बर 26 म किला नम्बर 2/1 में 0.7
हैक्टेयर व 2/2 म 0.025 हैक्टेयर 0.250 है0 भूमि कुल भूमि 2.783 हैक्टेयर भूमि दर्ज भूमि
रिकार्ड है और प्रार्थीया की पड़दादी धापी देवी के नाम से संयुक्त मुश्तरका खाता म राजस्व
रिकार्ड म दर्ज भूमि चक 23 जे आर के बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ म मुरब्बा
नम्बर 28/242 के मुरब्बा नम्बर 7 म 0.228 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 28/243 के मुरब्बा
नम्बर 22 म 4.834 हैक्टेयर भूमि व मुरब्बा नम्बर 28/244 के मुरब्बा नम्बर 26 म 1.367
हैक्टेयर भूमि व कुल भूमि 6.831 हैक्टेयर है जिसम धापी देवी का हिस्सा 6682/6831 है जो
कि करीबन 25 बीघा जमीन है जो कि वादी की पड़दादी का देहान्त हो चुका है और जिसके
चार वारिस थे जिनमे से वादी के दादा को सवा छः बीघा के करीब भूमि विरासतन प्राप्त हुयी
है जो कि जददी जायदाद जमीन है और इस प्रकार समस्त कृषि भूमि जददी जायदाद है व
इसके अलावा प्रार्थीया की दादी सुन्दर देवी के नाम से चक 5 यू एम डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर
23/20 9 के मुरब्बा नमबर 13 म कुल भूमि 0.252 हैक्टेयर कृषि भूमि है वह भी जददी
जायदाद है और इसके अलावा भी दादी को भूमि को प्राप्त हुयी थी जिसका दादी के द्वारा
बेचान कर दिया है इस प्रकार अप्रार्थी स02 सत्यनारायण के नाम से करीबन 25 बीघा व दादी
धापी देवी के नाम से करीबन 25 बीघा म से सवा छः बीघा व दादी सुन्दरा देवी के नाम से 1
बीघा कुल भूमि 32.5 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड म दर्ज है और अप्रार्थी स02 विरासतन भूमि
करीब 32.5 बीघा कृषि भूमि प्राप्त है जिसम प्रार्थी के पिता को 1/4 हिस्सा विरासतन उपरोक्त
म से भूमि प्राप्त है इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि म से 1/4 हिस्से म से 1/2 हिस्सा यानि 4
बीघा 1/2 बिस्वा भूमि विरासतन प्राप्त है जो कि वादीया प्राप्त करने की अधिकारी है और जो
कि अप्रार्थीगण को विरासतन कृषि भूमि प्राप्त हुयी है जिसम वादीया का जन्मसिद्ध अधिकार है
को रहन बेय, वसीयत,या अन्य दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने से निषेध रहे । श्रीमान जी
कि अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर मामला प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन एवं मामला प्रार्थीया के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है एवं अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 ता 3 की ओर निम्न प्रकार से है:– यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 1 में वर्णित कथन वाद प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है शेष कथन असत्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 2 में वर्णित कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 2 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 5 यूएमडब्ल्यु के खाता स.157/138 के प.न. 23/209, प.न.23/210, प.न. 23/211 की कुल 3.517 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि व तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके के प.न. 27/239, प.न. 27/240 की कुल 2.783 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स.2 ने अपने स्वय आय से अर्जीत की है। जिसमें प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा नही है क्योकि उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में नही आती है इस कारण उपरोक्त कृषि भूमि सयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि नही होने से प्रार्थीया का उपरोक्त कृषि भूमि में बतौर सहदायिक जन्म से कोई हक व हिस्सा निहित नही है और ना ही मिन अप्रार्थी स.2 के जीवनकाल में मिन अप्रार्थी स.2 से कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारीणी है। उक्त दफा में वर्णित यह कथन स्वीकार है कि मिन अप्रार्थीगण की दादी/माता/सासा धापी देवी के नाम से सयुक्त खाता में तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके (बी) के खाता सं.49/45 के प.न.28/242, 28/243, 28/244 की कुल 6.831 हैक.. कृषि भूमि मय गैरमुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

जिसमें धापी देवी का 5692/6831 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और धापी देवी का देहान्त हो चुका है जिसकी जानकारी प्रार्थीया को आरम्भ से है और धापी देवी मृत्यु के अभिवचन अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किये गये है। उसके पश्चात् भी प्रार्थीया के द्वारा मृतक धापी देवी के शेष विधिक वारिसान को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया है, इस कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रथम दृष्टया काविले खारिजी है। क्योकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में धापी देवी के समस्त वारिसान को पक्षकार संयोजित कर विधिक अवहेलना की है और प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण पक्षकारान के कुसयोजन व असंयोजन का दोष रखने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। मिन अप्रार्थी स. 3 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 5 यूएमडब्ल्यु के प.न.23/209 (13) के किला न. 24/2/0.012, 25/3/0.015, 25/4/0.025 कुल 0.252 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मिन अप्रार्थी स.3 के नाम वर्णित कृषि भूमि मुताबिक हिन्दू उपराधिकार अधिनियम के अनुसार मिन अप्रार्थीया स.3 की स्वयर्जित सम्पति है जिसमें मिन अप्रार्थीया स.3 के जीवनकाल में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नही है। उक्त दफा में वर्णित शेष कथन अविधिक होने के कारण अस्वीकार है क्योकि प्रार्थीया द्वारा धापी देवी के शेष विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना प्रार्थीया विधि अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स 3 में वर्णित कथन असत्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। मिन अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया की माता से दहेज के लिए तंग परेशान नही किया गया और ना ही प्रार्थीया की माता से किसी भी प्रकार से कोई गाडी व धनराशि की मांग की गई थी। उक्त दफा में वर्णित कथन प्रार्थीया के द्वारा मिथ्या बेबुनियाद आधार पर दर्ज किये गये है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया व उसकी माता का तिरस्कार व प्रताडित नही किया गया। बल्कि प्रार्थीया व उसकी माता द्वारा जानबुझकर अपने ससुराल को पीहर में निवास कर रही है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया व उसकी माता को अपने साथ रखने के लिए कई बार प्रयास किये गये और इस मिन अप्रार्थीगण द्वारा समाज के मोजिज व्यक्तियों के समक्ष पंचायत भी की गई लेकिन उसके बाबत् पश्चात् भी प्रार्थीया की माता के द्वारा मिन अप्रार्थी स.1 के साथ दाम्पत्य दायित्व का निर्वहन नही किया जा रहा है और बिना किसी उचित कारण मिन अप्रार्थी स.1 का परित्याग किया हुआ है। प्रार्थीया की माता के द्वारा मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ पुलिस थाना महिला थाना श्रीगंगानगर में एफआईआर स. 17/25 दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् उक्त प्रकरण को अदम वकू झुठा मानकर न्यायालय में एफआर प्रस्तुत की जा चुकी है। मिन अप्रार्थी स.1 द्वारा प्रार्थीया व उसकी माता को बसाने बाबत् आज भी प्रयास किये जा रहे है लेकिन उसके पश्चात् भी प्रार्थीया की माता मिनं अप्रार्थी स.1 से सम्बंध विच्छेद करने हेतू उतारू है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण केवल मात्र मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना किसी वाद कारण के केवल मात्र रजिंशवश प्रस्तुत किया है। उक्त दफा में वर्णित शेष असत्य मनगढ़त व विधिविरूद्ध होने के कारण अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी स.2 व 3 को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थीया के द्वारा केवल मात्र मिन अप्रार्थी स.2 व 3 जो ग्रामीण परिवेश के बुजुर्ग व्यक्ति है को उनकी सम्पति व धारणाधिकार में हस्तक्षेप करने व मिन अप्रार्थी स.2 व 3 को तंग व परेशान करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.4 में वर्णित कथन असत्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया का प्रश्नगत कृषि भूमि में जन्म सिद्ध अधिकार नही है क्योंकि प्रश्नगत कृषि भूमि मिन अप्रार्थी स. 2 व 3 की स्वयर्जीत सम्पति है और विधि अनुसार मिन अप्रार्थी स. 2 व 3 की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वयजीत सम्पति में प्रार्थीया के कोई अधिकार सर्जित नही होते है। प्रार्थीया की माता के द्वारा मिन अप्रार्थी स.2 व 3 के प्रति अपने कृतव्यों का पालन नही किया जा रहा है और मिन अप्रार्थी स.2 व 3 की वृद्वावस्था में उन पर मिथ्या आक्षेप लगाकर उन्हे तंग व परेशान एव मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीया को कोई प्रार्थना पत्र का कारण हासिल नही होने के पश्चात् एवं मृतक धापी देवी के शेष विधि वारिसान को पक्षकार सयोजित किये बिना प्रश्नगत कृषि भूमि में प्रार्थीया के द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध व पक्षकारों के कुसंयोजन / असंयोजन रखने के कारण खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.5 जिसे प्रार्थना पत्र में मद स.6 वर्णित किया गया है, में वर्णित कथन उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही होने व अल्प न्यायशुल्क पर प्रस्तुत होने के कारण काबिले खारिजी है। प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही होने के कारण एवं मृतक धापी देवी के शेष विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये बिना व अप्रार्थी स.4 ता 9 के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नही होने के पश्चात् भी अप्रार्थी स.4 ता 9 को पक्षकार संयोजित कर वाद प्रार्थीया पक्षकारों का कुसंयोजन/असंयोजन रखने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.6 जिसे प्रार्थना पत्र में मद स. 7 वर्णित किया गया है में वर्णित कथन कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद स. 7 जिसे प्रार्थना पत्र में मद स.8 वर्णित किया गया है, में वर्णित कथन असत्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू हासिल नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद स.8 जिसे प्रार्थना पत्र में मद स.10 वर्णित किया गया है, वर्णित कथन असत्य मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई प्रार्थना पत्र का कारण हासिल नही है और न ही प्रार्थीया हस्तगत प्रार्थना पत्र का प्रमाणिकरण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाणित करवाया गया है। क्योकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रमाणिकरण में भी यह उल्लेख नही किया गया कि प्रमाणिकरण श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही करवाया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

कि प्रार्थना पत्र की मद स.9 जिसे प्रार्थना पत्र में मद स. 12 वर्णित किया गया है में यह. वर्णित कथन प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू हासिल नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल नही है। इस कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण बिना किसी प्रार्थना पत्र कारण प्रस्तुत होने के कारण प्रथम दृष्टया की काबिल खारिजी है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत होने पर बाद निर्णय अप्रार्थी संख्या 5 को पक्षकार संयोजित किया गया है। जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 5 संदीप सिहाग की ओर से निम्न प्रकार से है —

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 इस हद तक स्वीकार है कि उक्त आनवान वाद माननीय न्यायालय मे पेश हो चुका है लेकिन प्रार्थीया को उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार के सफल होने की संभावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 राजस्व रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। शेष कथन को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। अप्रार्थी सं. 2 को बैंक लोन अदायगी हेतू रूपयों की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी सं. 2 ने मिन अप्रार्थी को अपनी स्वामित्व की चक 5 यू.एम. डब्लयू. के खाता सं. 157/138 के प.नं. 23/209, 23/210, 23/211 कुल तादादी 3.517 हैक. मे से 0.582 हैक. कृषि भूमि बेचान करने का प्रस्ताव रखा और मिन अप्रार्थी को कहा गया कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसको हर प्रकार से रहन बैय व हस्तांतरण करने के अधिकार अप्रार्थी सं. 2 को बतौर मालिक के हासिल है एवं समस्त परिवार की पूर्ण सहमति व रजामन्दी है, इस पर मिन अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 की बातों पर विश्वास करते हुये अप्रार्थी सं. 2 के नाम चक 5 यूएमडब्लयू की कुल 3.517 हैक. मे से 0.582 हैक. बरूवे रजिस्टर्ड दस्तावेज ईकरारनामा बेचान कृषि भूमि दिनांक 22.10.2024 को खरीदकर दस्तावेज ईकरारनामा उप पंजीयक गोलूवाला से पंजीयन व तहरीर करवाकर कृषि भूमि का कब्जा मिन अप्रार्थी सं. 2 को सुपुर्द किया गया। पंजीयन दस्तावेज ईकरारनामा की विशिष्ट पालाना मे अप्रार्थी सं. 2 ने शेष प्रतिफल राशि मिन अप्रार्थी से प्राप्त करके बेचान शुदा 0.582 हैक. कृषि भूमि का बैयनामा मिन अप्रार्थी को करवाया गया और दस्तावेज बैयनामा उप पंजीयक गोलूवाला से दिनांक 07.03.2025 को पंजीयन शुदा है। बैयनामा के समय अप्रार्थी सं. 2 ने मिन अप्रार्थी को आश्वासत किया कि वह जल्द ही बैंक लोन अदा करके आपको सूचित कर दिया जायेगा, इस पर अप्रार्थी सं. 2 ने बैंक लोन अदा करके रहन मुक्त की कार्यवाही अमल मे लाई जाकर अप्रार्थी सं. 2 ने मिन अप्रार्थी को सूचित न करके मिन अप्रार्थी को आर्थिक व अपूर्णीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी पौत्री व अन्य पारिवारिक सदस्यों से दुर्भिसंधि करते हुये आनन फानन मे समस्त पारिवारिक सदस्यों को पक्षकार न बनाकर माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, ऐसी सूरत मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है लेकिन जहां तक पारिवारिक विवाद का संबंध है तो मिन अप्रार्थी यहां स्पष्ट करना चाहेगा कि मिन अप्रार्थी को कृषि भूमि के बेचान के समय प्रार्थीया का समस्त परिवार के सदस्य पूर्ण सहमत व रजामन्द थे, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मिन अप्रार्थी से संबंधित न होने के कारण सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र की मद सं. 12 अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन अपूर्णी क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष मे कभी भी नही रहे है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थी

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2 के नाम है जो वाद भूमि के रिकोर्ड खातेदार है। प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। अप्रार्थी संख्या — 2 रिकार्डेड खातेदार होने के कारण प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि अप्रार्थीगण की पैतृक संपति के सम्बंध में निर्णय वाद पत्र में किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रार्थीया साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन** :—अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थीया को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थीया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 रिकार्डेड खातेदार अर्थात अप्रार्थी संख्या — 2 को उनके हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना है तो अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रार्थी साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 आरटीए के तहत वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। अप्रार्थी संख्या — 2 रिकार्डेड खातेदार होने के कारण एवं धापा देवी के फौत होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थीया के विरूद्ध साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व विरूद्ध प्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित नहीं होने के कारण मय अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल एवं आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा